

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- पीयूष समारिया
आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं० 79/2019

1. हरिनारायण बैरवा पुत्र मूलचन्द बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम चैनपुरा उप तहसील
सैथल तहसील दौसा जिला दौसा

... अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा।

...रेस्पोजेन्ट



अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा दिनांक 13.2.2019
प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरिनारायण मु०नं० 03/2019 अंतर्गत धारा 91
राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री महावीर सिंह चितोसिया, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 03.11.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बापी द्वारा उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा के यहां इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई थी कि ग्राम चैनपुरा उप तहसील सैथल तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नं० 224 रकबा 0.05 है० किस्म चरागाह भूमि पर गेहूँ की काश्त कर अपीलांत द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.2.2019 के द्वारा अपीलांत को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पेनल्टी तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया गया। उप तहसीलदार सैथल के उक्त आदेश दिनांक 13.2.2019 के विरुद्ध अपीलांत द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को सुनवाई एवं सबूत के अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने पूर्व में बेदखली की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की और न ही पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत किया था। पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं लिये और न ही पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिया गया और न ही कोई दस्जावेज प्रदर्श हुआ। पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांत को दण्डित किया गया है। अपील अपीलांत स्वीकार फरमायी जाने का निवेदन किया गया।



राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की वाबजूद सूचना अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने पर अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उसको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में किस्म चरागाह भूमि पर गेहूँ की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। बेदखली एवं फसल जब्ती व नीलामी की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैथल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2019 के विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 नवम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा